

### सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमती कंचन माला पति श्री परमानन्द पाण्डेय, श्री रमाकान्त पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय, श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय, श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय, श्री पवन कुमार पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय और श्री जयदीप तिवारी पिता श्री रामनरेश तिवारी (पत्नी सुषमा देवी) निवासी ग्राम: दुम्बी और राहम, थाना: टंडवा और पथलगड़ा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रैयती) खाता सं. 138 के अधीन प्लॉट सं. 2088, 2086, 1988 और 1403; कुल रकबा - 12.00 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रैयती) खाता सं. 138 के अधीन प्लॉट सं. 2088, 2086, 1988 और 1403; कुल रकबा - 12.00 एकड़ (रैयती) भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्रीमती कंचन माला पति श्री परमानन्द पाण्डेय, श्री रमाकान्त पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय, श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय, श्री बिरेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय, श्री पवन कुमार पाण्डेय पिता श्री भरत नारायण पाण्डेय और श्री जयदीप तिवारी पिता श्री रामनरेश तिवारी (पत्नी सुषमा देवी), निवासी ग्राम: दुम्बी और राहम, थाना: टंडवा और पथलगड़ा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

3/4/21  
16/12/21

उपरोक्त  
16.12.2021

M  
16/12

16/12/2021 16:53